# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
## (जिला – जोधपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–श्रीराम जी भाई कलबी आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 138/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/240

**प्रार्थीगण**

1. गिरधारीराम पुत्र लाखूराम निवासी मूलेजी का बेरा तहसील सेखाला जिला जोधपुर

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. तीजो देवी पत्नी लाखूराम (प्रफोरम पक्षकार)
2. नैनाराम पुत्र लाखूराम (प्रफोरम पक्षकार)
3. बाबूराम पुत्र हुकमाराम (प्रफोरम पक्षकार)
4. मगाराम पुत्र लाखूराम (प्रफोरम पक्षकार)
5. मूलाराम पुत्र रूपाराम(प्रफोरम पक्षकार)
6. शेषाराम पुत्र लाखूराम (प्रफोरम पक्षकार)
7. सुखीदेवी पत्नी चेनाराम (प्रफोरम पक्षकार)
8. कसूम्बी पुत्री चेनाराम नाबालिग जरिये कुदरती माता सुखी देवी पत्नी चेनाराम (प्रफोरम पक्षकार)
9. गुड्डी पुत्री चेनाराम नाबालिग जरिये कुदरती माता सुखी देवी पत्नी चेनाराम (प्रफोरम पक्षकार)
10. जोगाराम पुत्र चेनाराम नाबालिग जरिये कुदरती माता सुखी देवी पत्नी चेनाराम (प्रफोरम पक्षकार)
11. माधूराम पुत्र चेनाराम नाबालिग जरिये कुदरती माता सुखी देवी पत्नी चेनाराम (प्रफोरम पक्षकार)
12. सायरी पुत्र चेनाराम नाबालिग जरिये कुदरती माता सुखी देवी पत्नी चेनाराम (प्रफोरम पक्षकार)
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती**

अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री लुम्बाराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी 1 से 12 प्रफोरम पक्षकार
3. अप्रार्थी 13 राजकीय पैरोकार उपस्थित।

**–:: निर्णय ::–**

दिनांकः– 27/5/24

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः–

वक्त सेटलमेन्ट से खसरा नम्बर 2267/1 रकबा 0.1942 हैक्टेयर भूमि मौजा मुलेजी का बेरा पटवार हल्का चामू तहसील चामू जिला जोधपुर मे दर्ज है। वाद ग्रस्त मे रास्ते का आदेश दिनांक 01.06.2018 को श्रीमान पीठासीन अधिकारी न्याय आपके द्वार 2018 मे किया गया था जिसका नामान्तकरण संख्या 306 दिनांक 30.06.2018 दर्ज किया गया। नामान्तकरण की पुस्त पर भी आदेशानुसार तरमीम सही की गई लेकिन उक्त खसरान की भूमि को वर्तमान मे नक्शे मे ऑनलाईन करते समय रास्ता जो आदेश मे था उससे आगे चिन्हित कर दिया गया जो सद्भाविक भुल की वजह से किये गये इन्द्राज को शुद्धी कर बिना आदेश ज्यादा की गई तरमीम को शुद्धी करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी 13 को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी 13 द्वारा आपत्ति जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमे अप्रार्थी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व के अनुसार उक्त खसरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के आदेश क्रमांक 1396-98 दिनांक 01.06.2018 द्वारा नामान्तकरण संख्या 306 दिनांक 30.06.2018 से दर्ज हुआ है। नामान्तकरण की पुस्त पर नजरी नक्शा अंकित है। न्यायालय के आदेश मे भी नजरी नक्शा अंकित है। हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट मे दर्शाये गये बिन्दु संख्या A से B तक की तरमीम आदेश व नामान्तकरण संख्या 306 की पुश्त पर अंकित है लेकिन B से C की तरमीम दर्ज नही है। इसका रकबा 1.04 बीघा का मिलान कर रकबा बराबरी करने से रास्ता A से B तक ही बनता है। ऑनलाईन तरमीम मे त्रुटिवंश B से C बिन्दु की तरमीम दर्ज हुई है जो गलत है जिससे शुद्ध कर बिन्दु B से C की तरमीम को विलोपित किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai K
Date: 2024.05.28 18:00:16 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे बहस की गई बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त शुद्धि के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अप्रार्थी (राजकीय पेरोकार) द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी मे किये गये कदमी रास्ते के आदेश के संलग्न नजरी नक्शे मे प्रस्तावित रास्ता A से B तक ही है इसके अतिरिक्त नामान्तकरण संख्या 306 के पुस्त के पिछे बने नजरी नक्शे मे भी प्रस्तावित रास्ता A से B तक ही है। खसरा नम्बर 2267 मे B से C तक की गई तरमीम गलत एंव बिना किसी सक्षम आदेश के द्वारा की गई है जिससे प्रभाव मे रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं उक्त बिन्दु के आधार पर प्रार्थना पत्र के तथ्य सिद्व करने में प्रार्थी अधिवक्ता सफल रहे है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मौजा मुलेजी का बेरा पटवार हल्का चामू तहसील चामू जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 2267 के राजस्व नक्शे मे तहसीलदार चामू के जवाब के संलग्न हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 01.02.2024 मे उल्लेखित B से C तक की तरमीम को निरस्त किया जाता है अगर B से C तक की तरमीम मे रकबा का उपयोग किया गया है तो वह रकबा पुनः सम्बन्धित खातेदारों के हिस्से मे दर्ज किया जावें। तहसीलदार उक्तानुसार उक्त खसरों में तरमीम शुद्व करने की कार्यवाही करें शेष खाता बदस्तुर रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 27/5/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर

(रामजी भाई कलबी)
पीठासीन अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.28 18:00:16 IST
Reason: SelfAttested